

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1336

(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

बदायूं में कारपोरेट गवर्नेंस

1336. श्री आदित्य यादव:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं जिले में कंपनियों और व्यावसायिक उद्यमों द्वारा कंपनी (लेखा) नियम, 2025 में हाल ही में किए गए संशोधनों का अनुपालन करने में आ रही जटिलताओं पर ध्यान दिया है; जो देश में कारपोरेट प्रशासन और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने जिले में कारपोरेट कंपनियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए पारदर्शिता बढ़ाने और क्षमता विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग) : कंपनी (लेखा) नियम, 2014 को वर्ष 2025 के दौरान दो बार संशोधित किया गया था ताकि उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं जिले की कंपनियों सहित सभी कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित फाइलिंग में अनुपालन को सुव्यवस्थित किया जा सके और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। इस संबंध में की गई पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. कंपनी (लेखा) संशोधन नियम 2025 को 19 मई, 2025 को अधिसूचित किया गया था, ताकि कंपनियों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 30 जून, 2025 तक एक अलग प्ररूप के रूप में प्ररूप सीएसआर-2 (कारपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित कार्यकलापों पर रिपोर्टिंग) फ़ाइल करने की अनुमति मिल सके। इसके अतिरिक्त, नए वी3 पोर्टल (एमसीए21 पोर्टल का संस्करण 3) में प्ररूप

के माइग्रेशन के कारण, कंपनियों को सामान्य परिपत्र संख्या 02/2025 दिनांक 16.06.2025 के माध्यम से 15 अगस्त, 2025 तक एक अलग प्ररूप के रूप में प्ररूप सीएसआर-2 फ़ाइल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था।

2. कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2025, दिनांक 30 मई, 2025 को अधिसूचित किया गया था और दिनांक 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी था। इसने वी3 पोर्टल (एमसीए21 पोर्टल का संस्करण 3) में कंपनियों के वित्तीय विवरण/समेकित वित्तीय विवरण फ़ाइल करने के लिए नए प्ररूप पेश किए। दोहराव और अतिरेक को कम करने, मशीन के पठनीय प्रारूप में डेटा कैप्चर करने और फाइलिंग आवश्यकताओं की संख्या को कम करने की दृष्टि से, ऐसे प्ररूप, जो अब तक अलग से या अनुलग्नक के रूप में फ़ाइल किए जा रहे थे, कुछ नए प्ररूप के साथ, अब वित्तीय विवरण (एओसी-4) के साथ जोड़े गए हैं।

प्ररूपों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिसके तहत अंतरिम समाधान पेशेवर/समाधान पेशेवर/परिसमापक को इन प्ररूपों को फ़ाइल करने की अनुमति दी जाती है, यदि कंपनियां समाधान प्रक्रिया के तहत हैं या परिसमापन के अधीन हैं। पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े पहले से भरे हुए हैं।

3. इन नए प्ररूपों के रोल-आउट के समय, यह देखते हुए कि एमसीए पोर्टल 18.06.2025 और 13.07.2025 (दोनों तिथियां शामिल) से फ़ाइल करने के लिए अस्थायी रूप से अनुपलब्ध था, कंपनियों को सामान्य परिपत्र संख्या 01/2025 दिनांक 16 जून के माध्यम से उन मामलों में 15 अगस्त, 2025 तक अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना अपनी फाइलिंग पूरी करने की अनुमति दी गई थी, जहां नियत तारीख या पुनः जमा करने की तारीख 18.06.2025 और 31.07.2025 के बीच थी।

4. इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि कंपनियों को फ़ाइल करने की प्रक्रिया से परिचित होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है, सामान्य परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से, कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बिना 31 दिसंबर, 2025 तक वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित अपनी वार्षिक फाइलिंग पूरी करने की अनुमति दी गई है।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित कदम उठाए गए थे ताकि हितधारक भरने की अपेक्षाओं से परिचित हो सकें, साथ ही, उन्हें अपनी शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान किया जा सके: -

i. हितधारकों की सहायता के लिए नियमित रूप से वेबिनार और प्रशिक्षण संचालित किए जाते हैं। रिटर्न फ़ाइल करने में उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए वीडियो ट्यूटोरियल, चैटबॉट, उपयोगकर्ता मैनुअल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

iii. पोर्टल एक डैशबोर्ड सुविधा प्रदान करता है जो हितधारकों को वास्तविक समय में फाइलिंग, भुगतान की स्थिति और अनुमोदन को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।

iii. एमसीए21 पोर्टल से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए एक हेल्पडेस्क तंत्र स्थापित किया गया है। शिकायत निवारण को और बेहतर बनाने के लिए, एमसीए ने टिकट बंद करने की समीक्षा करने के लिए पेशेवर संस्थानों के साथ भागीदारी की है। इन संस्थानों की एक समर्पित टीम टिकट बंद होने के बाद शिकायत निवारण की निगरानी करने और उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एमसीए के साथ मिलकर काम करती है।

\*\*\*\*\*